न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 96/2007/75 एलआर एक्ट

1. स्वर्णकौर पत्नि स्व. नाजरसिंह (फौत)

1/1 तरसेमसिंह पुत्र जीवनसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 जीजीआर ढाणी उजागरसिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 गुरजीतसिंह पुत्र जीवनसिह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 जीजीआर ढाणी उजागरसिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 सुखविन्द्रसिंह पुत्र स्व. दलबीरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 जीजीआर ढाणी उजागरसिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/4 कुलदीप सिंह पुत्र स्व. दलबीरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 जीजीआर ढाणी उजागरसिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/5 हरविन्द सिंह पुत्र स्व. दलबीरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी चक 5 जीजीआर ढाणी उजागरसिंह वाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. कश्मीरसिंह पुत्र उजागरसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलान्ट

—: बनाम :—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार टिब्बी।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.02.2003 स्टेट बनाम मेहरअली आदि

जागीर प्रकरण सं0 887/94 न्यायालय अतिरिक्त कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

श्री छगनलाल सिड़ाना अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक —23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण अन्तर्गत धारा 7 राजस्थान जमीदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम टिब्बी किशनपुरा बेचिराग के खेवट/खसरा नं. 1 की 28.18 बीघा

भूमि बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश दिये जावे एवं इस प्रकरण मे मेहरअली व सेखमोहम्मद पि. नूरमोहम्मद व मु0 रामप्यारी बेव भूरसिंह को पक्षकार बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान स्थिति का अवलोकन किये बिना ही दिनांक 28.02.03 को अपील मीमो की चरण सं. 1 मे वर्णित भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किये जाने के आदेश पारित किये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि किशनपुरा बेचिराग के खसरा नं. 1 की 28.18 बीघा भूमि मुताबिक पर्चा खतौनी चक 6 एसआरडब्ल्यू व चक 3 आरके पर स्थापित हुई। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2061 चक 6 एसआरडब्ल्यू प.न. 203/275 मु.न. (32) 6/2 तादादी 0.190 है0 कि.न. 15/1 तादादी 0.126 है0 स्वर्णकौर अपीलांट सं. 1 के नाम व प.न. 203/275 मु.न. 32 कि.न. 15/2 तादादी 0.127 है0 व कि. न. 16, 25 सालम कुल तादादी 0.633 है0 कश्मीरसिंह अपीलांट स. 2 के नाम दर्ज हुई एवं वर्तमान मे यह भूमि गुरमुखसिंह, जसविन्दरसिंह पि. मोहनसिंह के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज है एवं इसी प्रकार इसी चक के प.न. 205/275 मु.न. 32 कि.न. 5 सालम, कि.न. 6/1 तादादी 0.163 है0 कुल 0.316 है0 रणजीतसिंह पुत्र हरबंशसिंह के नाम दर्ज है। चक 3 आरके प.न. 214/279 मु.न. 8 कि.न. 14 सालम, कि.न. 17 तादादी 0.190 है0 इस खाता की 0.443 है0 अपीलांट सं. 2 की पत्नि जसविन्द्रकौर के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज है व इसी प्रकार चक 3 आरके प.न. 214/279 मु.न. 8 कि.न. 1, 10 से 13 सालम व कि.न. 16, 17 प्रत्येक तादादी 0.063 है0 कि.न. 18 से 20, 23 ता 25 तादादी 2.909 है0 भूमि अपीलांट सं. 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है एवं इसी प्रकार चक 3 आरके प.न. 214/279 मु.न. 8 कि.न. 2 ता 9, 15 सालम व कि.न. 16 तादादी 0.190 है0 अपीलांट सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई व आज अपीलांट सं. 2 की पत्नि के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अन्य पक्षकारो को पक्षकार प्रकरण नही बनाया गया एवं ना ही इनके नाम से कोई नोटिस जारी किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय का यह विधिक उत्तरदायित्व था कि वे निर्णय से पूर्व पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक एवं नैसंर्गिक न्याय के सिद्धांतो के सर्वथा विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील टिब्बी से इस आशय की कोई रिपोर्ट नही मंगवाई गई कि वर्तमान मे यह भूमि किस व्यक्ति के आधिपत्य मे किस हैसियत से है, यह भूमि अपीलांट व अपीलांट सं. 2 की पत्नि की खातेदारी भूमि है। अपीलांट सं. 1 के पति स्व. नाजरसिंह व अपीलांट सं. 2 के पिता उजागरसिंह ने यह भूमि प्रतिफल देकर खरीद की हुई है और लगभग पिछले 45 वर्षो से इस भूमि पर अपीलांट व उनके पूर्वजो का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे यह स्पष्ट नही है कि खसरा नं. 1 की कौनसी भूमि रिज्यूम की गई है क्योंकि तहसील टिब्बी के खसरे काफी लम्बे चौडे बीघो के है। अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार प्रकरण बनाया होता तो अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे सही स्थिति प्रकट करते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का पूर्ण विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित करने मे अहम भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था। लेकिन अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.02.03 से अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होते है। इसलिये यह अपील तृतीय पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि मेहरअली आदि द्वारा मौजा किशनपुरा बेचिराग के खेवट/खसरा नं. 1 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.18 बीघा भूमि का अप्रार्थी मु. रामप्यारी को दिनांक 15.10.56 को किया गया विक्रय जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 की अवहेलना मे है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्यं के संबंध मे कोई साक्ष्य पेश नही किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि बहक सरकार रिज्यूम की गई। जो सही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त योग्य होने से निरस्त की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि तहसीलदार टिब्बी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि के संबंध मे यह अंकित करते हुए सन् 1980 मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मेहरअली आदि द्वारा मौजा किशनपुरा बेचिराग के खेवट/खसरा नं. 1 की 28.18 बीघा भूमि का अप्रार्थी मु. रामप्यारी को दिनांक 15.10.56 को किया गया विक्रय जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 की अवहेलना मे है, इसलिए वादग्रस्त भूमि के बहक सरकार रिज्यूम किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त भूमि बहक सरकार रिज्यूम की गई। जबकि सन् 1980 मे जिस समय प्रकरण मे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उस समय वादग्रस्त भूमि जमाबंदी खतौनी ग्राम 2 आरके सम्वत 2033 व सम्वत 2037 मे वादग्रस्त भूमि स्वर्णकौर जोजा नाजरसिंह के नाम से दर्ज है जिसे विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया और ना ही नोटिस/सूचना दी गई जिससे अपीलांट स्वर्णकौर व कश्मीरसिंह आदि को सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ। विचारण न्यायालय वादग्रस्त भूमि बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने अपीलाधीन आदेश के जरिये रिज्यूम की गई है। जबकि वादग्रस्त भूमि के संबंध वर्तमान रिकार्ड और मौका कब्जा संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत प्रभावित पक्षकारान सुनने के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण मे विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 28.02.2003 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 887/1994 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2003 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्णकौर व कश्मीर सिंह आदि प्रभावित पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरमान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़